न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-95RAAJodhpur2024-42RTA223 Nainaram Vs Dalaram etc

नैनाराम पुत्र केसाराम, जाति जाट, निवासी- गोदेलाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. दलाराम पुत्र खीयाराम जाति जाट, निवासी- गोदेलाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. लालाराम पुत्र खीयाराम जाति जाट, निवासी- गोदेलाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेखाला, जिला जोधपुर।

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 जुलाई 2022 सहायक कलक्टर बालेसर राजस्व मूल वाद संख्या 41/2020 दलाराम बनाम नेनाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री अनोपसिंह सोलंकी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री हनुमानराम मुण्डण, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक व दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 24 फरवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 41/2020 अनवान दलाराम बनाम नेनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 जुलाई 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 06 मार्च 2024 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 271 रकबा 68.11 बीघ ग्राम गोदेलाई तहसील सेखाला के संबंध में धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में दिनांक 17 मई 2022 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 04 जुलाई 2022 को वादी का वाद स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना, गलत तामील रिपोर्ट के आधार पर उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित की है। तहसीलदार सेखाला द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट को सूचना दिये बिना कब्जे काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव उसकी अनुपस्थिति में तैयार किया है तथा नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है। विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त हुए विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर बंटवाड़े के वाद में एकतरफा अंतिम डिक्री जारी कर दी जो बहाल रखने काबिल नहीं है। वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का ट्यूबवेल खुदा हुआ है जो विभाजन प्रस्ताव में दर्शाया नहीं गया है तथा उक्त ट्यूबवेल को रेस्पोडेंट के हिस्से में रख दिया गया है। रेस्पोडेंट्स अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की आड़ में अपीलांट के ट्यूबवेल के उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे तथा कनेक्शन अपने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नाम करवाने की धमकिया दे रहे है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिविरूद्ध पारित किये जाने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय पारित किये जाने से अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी। तत्पश्चात कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लागू हो गया था। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की प्रथम जानकारी दिनांक 01.08.2022 को होने पर उसकी ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सीपीसी पेश किया, जिसे दिनांक 14.02.2024 को निर्णित किया जाकर खारिज कर दिये जाने पर अपीलांट द्वारा जानकारी से अंदर म्याद हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किया जावे एवं गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 जुलाई 2022 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवायी गई, फिर भी अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17 मई 2022 को पक्षकारान् के जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार तहसीलदार सेखाला से बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार सेखाला द्वारा विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए प्रत्येक काश्तकार के हिस्से में रखी गई जोत में आवागमन हेतु रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विभाजन न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव में पक्षकारान् के पक्ष में रखे गये हिस्सों के संबंध में किसी प्रकार का उज्र नहीं उठाया गया है यानि उनके द्वारा यह नहीं कहा गया है कि उनके कब्जे काश्त की भूमि को अन्य खातेदारान् के हिस्से में रख दिया गया है। अपीलांट द्वारा केवल ट्यूबवेल के संबंध में उज्र उठाया गया है। इस संबंध में रेस्पोडेंट्स का निवेदन है कि रेस्पोडेंट्स द्वारा आज दिनांक तक अपीलांट के ट्यूबवेल के उपयोग करने में कोई व्यधान उत्पन्न नहीं किया है। यह उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजी का विभाजन सन् 2022 में हो चुका है तथा रेस्पोडेंट्स द्वारा आज दिनांक तक उनके ट्यूबवेल के उपयोग में बाधा उत्पन्न करने का ऐसा कोई भी सबूत/तथ्य अपीलांट द्वारा पेश नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में उक्त ट्यूबवेल रेस्पोडेंट्स सामलाती रूप से अपने हिस्से में खुदवाया गया था तथा उक्त ट्यूबवेल में रेस्पोडेंट्स का भी हिस्सा था। तत्पश्चात उक्त ट्यूबवेल अपीलांट को सिचांई हेतु दे दिया। विचारण न्यायालय द्वारा भी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सीपीसी पर उभय पक्ष को सुनते हुए उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में भी अपीलांट के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला न मानते हुए उनके कथनों के आधार पर स्थगन आदेश पारित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही पाये जाने से प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित समझते हैं। विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सीपीसी के विचाराधीन रहते अपीलांट द्वारा पहले अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। लिहाजा न्याय हित में मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के विंदु पर नरम रुख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार सेखाला द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14 जून 2022 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना करते हुए सभी काश्तकारान् के आवागमन हेतु रास्ते का प्रावधान रखते हुए तथा उनके कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना पाया जाता है। विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान् के कब्जे काश्त अनुसार ही तैयार किये जाने की पुष्टि अपीलांट की ओर से प्रस्तुत छायाचित्रों से ही होती है। उक्त छायाचित्रों में अपीलांट स्वयं द्वारा पक्षकारान् के कब्जे-काश्त अनुसार उनके नाम अंकित किये गये है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा भी कब्जे की स्थिति के बारे में कोई उज्र नहीं उठाया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाये जाते है।

हस्तगत मामले में उभय पक्ष में केवल ट्यूबवेल को लेकर विवाद है। अपीलांट का कथन है कि उसकी ट्यूबवेल को रेस्पोडेंट के कब्जे काश्त में रख दिया गया है तथा रेस्पोडेंट्स द्वारा ट्यूबवेल के उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न की जा रही है। इस संबंध में रेस्पोडेंट्स का कथन है कि विभाजन से पूर्व ट्यूबवेल सामलाती होने से उनके हिस्से में खुदवाया गया था। बाद विभाजन आज दिनांक तक रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट के ट्यूबवेल के उपयोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की गई है, न ही अपीलांट द्वारा इस संबंध में कोई सबूत पेश किया गया है। रेस्पोडेंट द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि भविष्य में अपीलांट द्वारा ट्यूबवेल के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपयोग में बाधा उत्पन्न की जायेगी। अपीलांट के उक्त उज्र के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध अभिलेख से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट की ट्यूबवेल के उपयोग में दखलंदाजी/बाधा उत्पन्न करने के कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये है। रेस्पोडेंट्स द्वारा दौराने बहस स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा कोई दखलंदाजी नही की जा रही है तथा न ही दखलंदाजी की जायेगी। फिर भी न्याय हित में उक्त उज्र के निस्तारण हेतु रेस्पोडेंट्स को अपीलांट के ट्यूबवेल के उपयोग एवं ट्यूबवेल तक जाने वाले रास्ते के उपयोग में बाधा उत्पन्न नहीं किये जाने हेतु पाबंद किया जाना उचित रहेगा।

वस्तुतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधिसम्मत रूप से पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में अन्य किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 41/2020 अनवान दलाराम बनाम नेनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 जुलाई 2020 विधिसम्मत पाये जाने से यथावत रखे जाते है। साथ ही रेस्पोडेंट्स को पाबंद किया जाता है कि वे अपीलांट के ट्यूबवेल के उपयोग एवं ट्यूबवेल तक जाने वाले रास्ते के उपयोग में बाधा उत्पन्न नही करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-95RAAJodhpur2024-42RTA223 Nainaram Vs Dalaram etc

अपीलाण्ट	ब ना म	रेस्पोडेण्ट
नैनाराम पुत्र केसाराम, जाति जाट, निवासी- गोदेलाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।		1. दलाराम पुत्र खीयाराम जाति जाट, निवासी- गोदेलाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर। 2. लालाराम पुत्र खीयाराम जाति जाट, निवासी- गोदेलाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर। 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेखाला, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 जुलाई 2022 सहायक कलक्टर बालेसर राजस्व मूल वाद संख्या 41/2020 दलाराम बनाम नेनाराम इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 24 फरवरी 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री अनोपसिंह सोलंकी मिनजानिब अपीलाण्ट्स, श्री हनुमानराम मुण्डण अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 41/2020 अनवान दलाराम बनाम नेनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 जुलाई 2020 विधिसम्मत पाये जाने से यथावत रखे जाते है। साथ ही रेस्पोडेंट्स को पावंद किया जाता है कि वे अपीलांट के ट्यूबवेल के उपयोग एवं ट्यूबवेल तक जाने वाले रास्ते के उपयोग में बाधा उत्पन्न नही करे। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रुपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 24 फरवरी 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर